[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं०. 55/2017– केंद्रीय कर

नयी दिल्ली, 15 **नवम्बर**, 2017

सा.का.नि. ..... (अ)—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में, -

(i) नियम 43 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण**—नियम 42 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों के संकलित मूल्य में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1338(क), तारीख 27 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 42/2017-एकीकृत कर, तारीख 27 अक्तूबर, 2017 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रदाय के मूल्य को अपवर्जित किया जाएगा ।";

(ii) नियम 54 के उपनियम (2) में, "प्रदायकर्ता उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा" शब्दों के स्थान पर, "प्रदायकर्ता उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) नियम 97 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"97**क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण**—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा ।";

(iv) नियम 107 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"107**क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण**—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या

उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा ।";

(v) नियम 109 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"109क. अपील प्राधिकारी की नियुक्ति--(1) इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या ओदश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, तीन मास के भीतर,--

(क) आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश अपर या संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो ;

(ख) अपर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या अधीक्षक द्वारा पारित किया गया हो ।

(2) इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन निदेशित कोई अधिकारी, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर,--

(क) आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश अपर या संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो ;

(ख) अपर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या अधीक्षक द्वारा पारित किया गया हो ।";

(vi) नियम 124 में,--

(क) उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से, किसी भी समय, अध्यक्ष की नियुक्ति समाप्त कर सकेगी ।";

(ख) उपनियम (5) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से, किसी भी समय, तकनीकी सदस्य की नियुक्ति समाप्त कर सकेगी ।";

(vii) **"प्ररूप जी.एस.टी. आर.एफ.डी. 01"** के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप जी.एस.टी. आर.एफ.डी. 01क

[नियम 89(1) और नियम 97क देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन (मैनुएल रूप से)

(नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति, अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर की कटौती करने वाले व्यक्ति, कर संग्रहण करने वाले व्यक्ति या अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जी.एस.टी.आई.एन. / अस्थाई पहचान पत्र	

2.	विधिक नाम							
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो							
4.	पता							
5.	कर की अवधि (यदि लागू हो)	<वर्ष ><मास > से <वर्ष ><मास> तक						
6.	दावा किए गए प्रतिदाय की रकम (रू॰.)	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
		केंद्रीय कर						
		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
		योग						
7.	दावा किए गए प्रतिदाय के आधार (सामने में से चुनें)	(क)	इलेक्ट्रानिक जमा खाते में आधिक्य अधिशेष					
		(ख)	सेवाओं का निर्यात – कर के भुगतान के साथ					
		(ग)	माल/सेवाओं का निर्यात – कर के भुगतान के बिना (संचित आई.टी.सी.)					
		(घ)	विपरीत कर संरचना के प्रति शोध्य संचित आई.टी.सी. [धारा 54(3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन]					
		(ङ)	विशेष आर्थिक जोन इकाइयों/ विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं को किए गए प्रदाय के कारण (कर के भुगतान के साथ)					
		(च)	विशेष आर्थिक जोन इकाइयों/ विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं को किए गए प्रदाय के कारण (कर के भुगतान के बगैर)					
		(छ)	समझा गया निर्यात का प्राप्तिकर्ता					

<u>घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]</u>

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि निर्यात किया गया माल किसी निर्यात शुल्क के अध्यधीन नहीं है । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर कोई भी प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने उस प्रदाय पर भुगतान किए गये एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का कोई दावा नहीं किया है जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है ।

हस्ताक्षर
नाम --
पदनाम/प्रास्थिति

<u>घोषणा [धारा 54(3)(ii)]</u>

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए आई.टी.सी. प्रतिदाय में शून्य दर वाली या पूर्णतया छूट-प्राप्त प्रतिदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई.टी.सी. सममिलित नहीं है ।

हस्ताक्षर
नाम –
पदनाम/प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(च)]

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई / विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने आवेदक के द्वारा संदत्त कर के ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है ।

हस्ताक्षर
नाम –
पदनाम/प्रास्थिति

स्वघोषणा [नियम 89(2)(छ)]

मैं/ हम_____ (आवेदक), जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी ---------- सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ करती हूं/करते हैं और प्रमाणित करता हूं/करती हूं/करते हैं कि ---------- से ---------- तक कि अवधि के लिए कर, ब्याज या अन्य किसी राशि से संबंधित ---- रूपये की राशि के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में जिसका दावा किया गया है, उसके बारे में ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति पर आरोपित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर
नाम –
पदनाम/प्रास्थिति
(यह घोषणा उन आवेदकों के लिए अपेक्षित नहीं है, जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है ।)

8. सत्यापन

मैं/ हम<करदाता का नाम>, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ करती हूं/करते हैं और यह घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य तथा सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है ।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि इसके पहले मैंने/हमने इस निमित्त कोई भी प्रतिदाय नहीं लिया है।

स्थान
तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम)
पदनाम/प्रास्थिति

अनुबंध-1

विवरण -1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय का प्रकार : विपरीत कर संरचना के कारण संचित शोध्य आईटीसी [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

(राशि रूपये में)

माल की विपरीत कर दर पर प्रदाय का आवर्त	**माल की ऐसी विपरीत कर दर पर संदेय कर**	**समायोजित कुल आवर्त**	**शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय**	**दावा किये जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय की राशि [(1×4÷3)-2]**
1	**2**	**3**	**4**	**5**

विवरण- 3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय राशि की संगणना

(राशि रूपये में)

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त	**शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय**	**समायोजित कुल आवर्त**	**प्रतिदाय की राशि (1×2÷3)**
1	**2**	**3**	**4**

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाईयों/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को कर के भुगतान के बिना किए जाने वाले प्रदाय के कारण (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय की राशि की संगणना

(राशि रूपये में)

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त	**शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय**	**समायोजित कुल आवर्त**	**प्रतिदाय की राशि (1×2÷3)**
1	2	3	4

प्ररूप-जीएसटी–आरएफडी-01 ख

[नियम 91(2), 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) और 97क देखें]

प्रतिदाय आदेश के ब्यौरे

1.	एआरएन	
2.	जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी	
3.	विधिक नाम	
4.	फाइल किए जाने की तारीख	
5.	प्रतिदाय का कारण	
6.	वित्तीय वर्ष	
7.	मास	
8.	आदेश सं.:	
9.	आदेश को जारी किए जाने की तारीख :	
10	पेमेंट एडवाइस की सं. :	
11	पेमेंट एडवाइस की तारीख :	
12	जिसको प्रतिदाय जारी किया गया :	ड्राप डाउन : करदाता / उपभोक्ता कल्याण निधि
13	के द्वारा जारी :	
14	टिप्पणी :	
15	आदेश का प्रकार	ड्राप डाउन : आरएफडी - 04/ 06/ 07 (भाग क)
16	प्रतिदाय राशि के ब्यौरे (मैनुअल रूप से जारी आदेश के अनुसार):	

विवरण	एकीकृत कर						केन्द्रीय कर						राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						उपकर					
	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग
क. दावा की गई प्रतिदाय राशि																								
ख. अनंतिम आधार पर मंजूर किया गया प्रतिदाय																								
ग. अतिशेष राशि																								
घ. अस्वीकार्य प्रतिदाय राशि																								
ङ सकल राशि, जिसका भुगतान किया जाना है																								
च. ब्याज (यदि कोई हो)																								
छ. विद्यमान विधि के अधीन या अधिनियम के अधीन बकाया मांग के स्थान पर समायोजित राशि																								
ज. शुद्ध राशि, जिसका भुगतान किया जाना है																								

17.	कुर्की (आदेश)	आरएफडी -04; आरएफडी - 06; आरएफडी 07 (भाग क)

तरीख : स्थान :	हस्ताक्षर (डीएससी): नाम : पदनाम : कार्यालय का पता :

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी**)]**

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण – मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 1344(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 51/017-केन्द्रीय कर, तारीख 28 अक्तूबर, 2017 द्वारा उसमें अंतिम संशोधन किया गया ।